न्यायालय उपखंड अधिकारी बीदासर

पीठासीन अधिकारी श्योराम वर्मा आर .ए. एस.

न.मु. 45/2018

1. श्री कालूराम पुत्र तिलोकाराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयान तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. रामचन्द्र पुत्र भंवरलाल जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयान तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान

वादीगण

बनाम

1. गीता पुत्री मांगुराम जाति मेघवाल निवासी ढाणी स्वामीयान तहसील बीदासर जिला चूरू राजस्थान
2. प्रमेश्वरी पत्नी मामराज जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर
3. धापु पुत्री मामराज जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
4. पारू पुत्री मामराज जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
5. सन्तोष पुत्री मामराज जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
6. अमीचन्द पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
7. मूलचन्द पुत्र मामराज जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
8. राकेश पुत्री मामराज जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
9. मनोजदेवी पुत्री खींवाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
10. मुन्नीदेवी पुत्री खींवाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
11. कालूराम पुत्र खींवाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
12. लिच्छूराम पुत्र खींवाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
13. कानीदेवी पत्नी खींवाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
14. भंवरी पत्नी धन्नाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
15. ओमप्रकाश पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
16. कमल पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
17. सांवरमल पुत्र धन्नाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
18. कोजाराम पुत्र मोटाराम जाति मेघवाल निवासीगण बीदासर जिला चूरू
19. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बीदासर जिला चूरू
20. उपपंजीयक बीदासर जिला चूरू

लगातार 2 पर.............

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
सत्यमेव जयते
बीदासर जिला-चूरू

Scanned by CamScanner

दावा कृषि भूमि विभाजन हेतु

उपस्थित

1. ज्ञानाराम चौधरी एडवोकेट वास्ते वादीगण

2. रघुवीर भाम्भू एडवोकेट वास्ते प्रतिवादीनी संख्या 01

3. पैरोकार राज

निर्णय

दिनांक 30-11-24

वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 के संयुक्त खातेदारी के खेत रोही कोठीनडा तहसील बीदासर मे खसरा नंबर 197/97 तादादी 10.0413 हैक्टर खसरा नंबर 85 तादादी 7.8281 हैक्टर खसरा नंबर 90 तादादी 0.2529 हैक्टर कुल किता 3 कुल तादादी 18.1223 हैक्टर व खसरा नंबर 213/297 तादादी 1.1888 हैक्टर जो संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। जिसमे वादी संख्या 1 का 3.035 हैक्टर व वादी संख्या 2 की 3.035 हैक्टर कुल दोनो वादीगण की 6.07 हेक्टर भूमि संयुक्त खातेदारी मे दर्ज है। व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 एक ही कुटुम्ब के सदस्य है। जिनको पूर्वजो से विरास्तन वाद गत खेत मिले है। जिन्होने लगभग 50 वर्ष पूर्व से ही उपरोक्त खेतो का पारिवारिक मौखिक समझौत कर बंटवारा कर रखा है। जिसके मुताबिक वादीगण के खसरा संख्या 85 मे दक्षिणी तरफ की 6.07 हैक्टर भूमि हिस्सा पांति मे आई हुयी है। तथा वर्षो से इसी खसरा मे अपनी हिस्सा पांति भूमि के चारो ओर तारबंदी की बाड़ बना रखी है। उपरोक्त भूमि संयुक्त खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज होने के कारण अपनी हिस्सा भूमि पर राजकीय योजनाओ का लाभ मिलना संभव नही है। तथा संयुक्त खातेदारी भूमि होने के कारण वादीगण को काफी परेशानियो का सामना करना पडता है। इस बाबत वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 18 से निवेदन किया कि वह सहमति से वादीगण के हिस्सा पांति की भूमि का खाता अलग करवा देवे। परन्तु प्रतिवादी गण इंकार हो गये। आदि आदि वाद पत्र प्रस्तुत किया वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 गीता की ओर से अधिवक्ता रघुवीर भाम्भू उपस्थित आये। व प्रतिवादीगण संख्या 2, 6, 11, 13, 14, 17, 18 बावजूद तामील उपस्थित नही होने से दिनांक 26.03.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। शेष प्रतिवादीगण संख्या 3 ता 5 व 7 ता 10 व 12, 15, 16 को जरिये अख बार साया से तामील करवायी जाकर दिनांक 17.09.2019 को एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई। इसी दौरान वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 के समाज के मोजिजान व स्वयं ने अपनी इच्छा से राजीनामा कर जरिये राजीनामा अपना दावा निस्तारण का निवेदन किया क वादीगण के हिस्सा पांति के खेत खसरा नंबर 85 तादादी 7.8281 हैक्टर रोही कोठीनडा मे अपनी संपूर्ण 6.07 हैक्टर दक्षिणी तरफ की भूमि वादीगण के हिस्सा पांति मे रखी जाकर राजस्व रिकार्ड मे अलग खातेदारी दर्ज की जावे। व प्रतिवादी संख्या 1 गीता देवी के पक्ष मे खसरा संख्या 85 तादादी 7.8281 हैक्टर मे से 1.7581 हैक्टर उतरी तरफ की राजस्व रिकार्ड मे अलग खातेदारी दर्ज की जावे। व प्रतिवादी संख्या 1 के खसरा संख्या 197/97 के उतरी पूर्वी कोने की 1.7828 हैक्टर हिस्सा पांति की राजस्व रिकार्ड मे अलग खातेदारी दर्ज किया जावे राजीनामा पेश व अपना दावा लोक अदालत की भावना से दावा डिक्री किये जाने का निवेदन किया। व प्रतिवादीगण संख्या 19 व 20 की और से पैरोकार राज ने राजहित नही

लगातार 3 पर..........

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

...का जबाब पेश किया। शेष कोई प्रतिवादीगण की और से जबाब पेश नही होने से तनकीयात कायम ...की जा सकी। वादीगण ने अपने वाद के समर्थन मे जमाबंदी संमत् 2074 से 77 जो प्रदर्श 1 है। व ...माबंदी सम्वत् 2074 से 77 खसरा नंबर 213/97 रोही कोठीनडा जो प्रदर्श 2 है। नक्शा एक्स सीमा ग्राम ...टियाल छोटी खसरा नंबर 97 जो प्रदर्श 3 है। व वादी स्वयं के बयान करवाये गये व पक्षकारो ने जरिये राजीनामा अपना दावा विभाजन लोक अदालत की भावना से करने का निवेदन किया।

वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 के वकीलं ने अपनी बहस मे दावा मुताबिक राजीनामा डिकी किये जाने का निवेदन किया।

बहस अधिवक्तागण सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे प्रमाणित है कि प्रदर्श 1 व 2 से वादीगण संयुक्त खाते के खातेदार है। जिसमे रोही कोठीनडा के खसरा संख्या 197/97 तादादी 10.0413 हैक्टर व खसरा नंबर 85 तादादी 7.8281 हैक्टर व खसरा नंबर 90 तादादी 0.2529 हैक्टर व खसरा नंबर 213/97 तादादी 1.1888 हैक्टर मे वादीगण का हिस्सा 6.07 हैक्टर के खातेदार काश्तकार है। जिसमें जरिये राजीनामा वादीगण कालूराम व रामचन्द्र का हिस्सा खसरा नंबर 85 तादादी 7.8281 हैक्टर मे 6.07 हैक्टर दक्षिणी साईड की हिस्सा पांति कब्जा काश्त की है। जिसको राजस्व रिकार्ड मे अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जाना उचित है। प्रतिवादी संख्या 1 गीता के खसरा संख्या 85 तादादी 7.8281 हैक्टर मे से 1.7581 हैक्टर उतरी तरफ की व खसरा नंबर 197/97 तादादी 10.0413 हैक्टर मे से 1.7828 हैक्टर उतरी पूर्वी तरफ की राजस्व रिकार्ड मे अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जाना उचित है। व शेष खसरा भूमि मे प्रतिवादीगण 2 ता 18 के मुताबिक हिस्सा राजस्व रिकार्ड दर्ज रहें।

आदेश

वादीगण का वाद मुताबिक राजीनामा इस प्रकार अन्तिम डिकी किया जाता है कि रोही कोठीनडा के खसरा संख्या 197/97 तादादी 10.0413 हैक्टर व खसरा नंबर 85 तादादी 7.8281 हैक्टर व खसरा नंबर 90 तादादी 0.2529 हैक्टर व खसरा नंबर 213/97 तादादी 1.1888 हैक्टर मे वादीगण कालूराम व रामचन्द्र 6.07 हैक्टर हिस्से के खातेदार काश्तकार है। जिनका मुताबिक राजीनामा वादीगण कालूराम व रामचन्द्र की रोही कोठिनडा के खसरा नंबर 85 तादादी 7.8281 हैक्टर मे से 6.07 हैक्टर दक्षिणी तरफ की भूमि उनके हिस्सा पांति व कब्जा काश्त की है। जिसको राजस्व रिकार्ड मे अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे व प्रतिवादीनी संख्या 1 गीता के रोही कोठीनडा के खसरा संख्या 85 तादादी 7.8281 हैक्टर मे से 1.7581 हैक्टर उतरी तरफ की व खसरा नंबर 197/97 तादादी 10.0413 हैक्टर मे से 1.7828 हैक्टर उतरी पूर्वी तरफ की राजस्व रिकार्ड मे अलग खातेदारी दर्ज कर अलग लगान कायम किया जावे। व शेष खसरा भूमि मे वर्तमान राजस्व रिकार्ड के दर्ज खातेदार मुताबिक हिस्सा बदूस्तर रहे। तदनुसार अन्तिम डिकी जारी होकर तहसीलदार बीदासर को लिखाया जावे कि मुताबिक निर्णय राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद व तरमीम करवाये। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे। निर्णय आज दिनांक 30-11-21 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
बीदासर

उपखण्ड अधिकारी बीदासर जिला-चूरू
सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner